सत्यमेव जयते

Case No. 85/2025

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW-RU-IV

श्री अजय नाथ झा,
जिलाधिकारी,
जिला – बोकारो
जिलाधिकारी कार्यालय,
बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड,
बोकारो, झारखंड 827001
ई-मेल: dc-bok@nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **08/10/2025** को **16:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

**मामलें का संदर्भ :-**

संदर्भ 1

(i) बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में श्रीमती रीना किस्कू, बोकारो झारखंड का अभ्यावेदन

(ii) आयोग का सिटिंग नोटिस दिनांक 11.09.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

**दिनांक 30/09/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

**मोहर**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

For [illegible]
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

Copy to:- NIC for uploading